He Gazette of India

कसाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—जपह 3—उप-जपह (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाषित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई विस्ती, बुधवार, मार्च 29, 1995/वैज्ञ 8, 1917 No. 132] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 1995/CHAITRA 8, 1917

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

श्रधिमुचना

नई दिन्सी, 28 मार्च, 1995

सा.का.नि. 296 (ग्र):—विल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिकी) नियमावली, 1981 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ वसूलनीय निम्नलिखित पूर्व-निर्धारित दरें ग्रधि-सचित करती है:—

भूमि की श्रेणी द्वारका 1994-95 हेतु पूर्व निर्धारित प्रतिवर्ग मीटर दरें

1. सी.जी.एच.एस. हेतु भूमि 2033.61 रुपये

753 GI/95

I	. 2
2. वैकल्पिक भू-खण्ड	1873ं,87 रुपये (ग्रान्तरिक विकास की लागत तथा उपयोग और
And the second of the second o	कब्जा श्रधिभागें सहित)
 भावास योजनाएं 	
एसं. एक, एस₄	2033.61 - रुपये
एम .भाई .जी .	1694.67 - रुपये
एल . ग्राई . जी .	1016.80 – रुपये
ई.डब्ल्यू.एस.	677.87 - हमये
4. भोद्योगिक	2212.80∕─ रुपये (इसमें म्रान्तरिक विकास की लागत तथा उपयोग श्रोर कब्जा ग्रधिभार णामिल है) ।
5. मुग्गी-स्रोपड़ी धनधिवासी बस्तियां	677.87 रुपये
	(इसमें भ्रान्तरिक विकास णामिल नहीं है, जिसके लिए दिल्ली नगर निगम के स्लम विग द्वारा भ्रन्तरिम व्यवस्था करनी होगी)

में दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी ।

[संख्या के-20014/1/95-डी.डी. II ए] ए.पी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1995

G.S.R. 296(E).—In exercise of powers conferred by Rule 2(1) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules,

Category of Land	Approved pre-determined rates for Dwarka 1994-95 per sq. mtr.
1	2
1. Land for CGHS	Rs. 2033.61
2. Alternative plots	Rs. 1873.87 (including cost of internal development and use and occupation charges)
3. Housing Schemes	
SFS	Rs. 2033.61
MIG	Rs. 1694.67
L IG	Rs. 1016,80
EWS	Rs. 677.87
4. Industrial	Rs. 2212.80 (includes cost of internal development and use and occupation charges)
5. J.J. & Squatters Resettlements	Rs. 677.87 (excluding internal development which alongwith interim arrangement has to be done by slumwing of MCD)

These rates come into force with immediate effect.

[No. K-20014/1/95-DD IIA] A.P. SINHA, Jt. Secy.